विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा करोड़ों रुपयों की धनराशी का बाहर भेजा जाना

*475 **श्री आर० बी० बड़े : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औषधिया बनाने वाली फर्मों द्वारा 1971–72 में कितने रुपये की धनराशि अपने देश को भेजी गई; और

(ख) इस प्रकार धन को बाहर जाने में रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) 1971–72 में 50 प्रतिशत से अधिक विदेश स्वामि व वाली विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा 525 लाख रुपये की राशी बाहर भेजी ।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय करों का भुगतान करने के बाद लाभ एवं लाभाशों की राशि प्राय: बाहर भिजवाई जा सकती है। तथापि 100 प्रतीशत विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों को लाभांश घोषित करने के लिए यदि आरक्षित निधि में से धन निकलवाना पड़े तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को निम्न विषयों के बारे में संतुष्ट करना आवश्यक होगा :–

(*i*) कि आरक्षित निधी में से पिछले 5 वर्षों की औसत पर केवल लाभांश बनाए रखने के लिये अथवा प्रदत्त पूजी के 10प्रतिशत कर, इनमें से जो अधिक हो, निकाला गया है ।

(*ii*) कि आरक्षित निधी से निकाला गया धन कुल प्रदत्त पूजी और वर्ष के आरम्भ में कम्पनी की निवार्ध आरक्षित निधियों के 10% से अधिक नही है एंव

(*iii*) कि धन निकालने के बाद निवार्ध आरक्षित निधियों का बकाया उपरोक्त में कथित प्रदत्त पूजी एंव आरक्षित निधियो के 15 प्रतिशत से कम नहीं रह जाता रायलटी एंव तकनीकि जानकारी की फीस हेतू धन बाहर ले जाने की रिजर्व बैंक के यह तसल्ली कर लेने पर इजाजत दी जाती है कि भुगतान सरकार द्वारा मंजूर की गई शर्तों के अनुसार ही है ।

Diversion of Funds for Flood Protection Schemes for other Purposes

*476. SHRI SARJOO PANDEY: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether funds allotted for flood protection schemes have been diverted to other schemes by some State Governments; and

(b) if so, what steps have been taken to see that funds allotted for flood control measures are not diverted for other purposes?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) and (b). Under the procedure evolved for the Fourth Plan, the Central assistance to the State Governments for thair Plan schemes is provided in the shape of block loans and grants and is not tied to any particular projects or head of development. Thus there is no earmarked assistance for flood control schemes. The State Governments are free to allocate the funds to various heads of development according to priority.

However, the Government of India have provided special financial assistance for acceleration of flood control programme and priority schemes in some States and these amounts have been utilised for the purpose for which they were provided.